हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म की तामील में जारी हुए

प्र.सं. 107/2017

रजिस्टर्ड

आज तारीख दि. 2018

678 पत्रावली मालपत्र लोक अदालत कैम्प कोर्ट भाण्डारेज में पेश हुई। पत्रावली में पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मन रिमांड प्रार्थना पत्र के सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को ग कैलेण्डर बाद सम्पर्क किया जा चुका है। पत्रावली में वादग्रस्त भूमि के प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखने व शान्ति भंग होने के सम्बन्धित कोई रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने से वादग्रस्त भूमि का रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का रिसीवर प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण कैलेण्डर हुआ होने पश्चात से कम से तथा बाद तकमील प्रतिवाद के व मजबूत के व मूल वाद के निपटान हो। निर्णय मालपत्र लोक अदालत कैम्प कोर्ट भाण्डारेज के माध्यमे आम में सुनाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौसा